उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 66/2017/380/92-2-17-191जांच/2015

लखनऊ:: दिनांक:: 09 मई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड-लालगंज में ग्राम पंचायत खरिहट कला में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत 02 गलियों के निर्माण कार्यो में मुख्य प्राविधिक परीक्षक की जॉच आख्या में पायी गयी अनियमितताओं तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति संतोषजनक न पाये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-05/2016/2269/92-2-2016-191जॉच/2015, दिनांक 02.01.2017 द्वारा श्री टी0एन0 राय, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड–मिर्जापुर सम्प्रति पी0आई0यू0-बाराबंकी के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-2266/92-2-2016-191(जॉच)/2015 दिनांक 02.01.2017 द्वारा श्री राय के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र निर्गत किया गया। कालान्तर में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-32/2017/226/92-2-17-191जांच/2015 दिनांक 28-02-2017 द्वारा जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर के स्थान पर अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ के पत्र दिनांक 06-03-2017 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी श्री टी0एन0 राय के विरूद्व अधिरोपित कोई आरोप स्थापित नही पाये गये।

2- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा पाया गया कि अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित कोई आरोप स्थापित नही होता है। अतएव शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-05/2016/2269/92-2-2016-191जॉच/2015, दिनांक 02.01.2017 द्वारा श्री टी0एन0 राय, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड–मिर्जापुर सम्प्रति पी0आई0 यू0-बाराबंकी के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को आरोप स्थापित न पाये जाने के आधार पर एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 66/2017/380(1)/92-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री टी0एन0 राय, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड–मिर्जापुर सम्प्रति पी0आई0यू0-बाराबंकी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।